भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1394
28 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

पीएमएमएसवाई के तहत अंतर्देशीय मत्स्य अवसंरचना

1394. श्री शशांक मणिः

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान तालाबों, जलाशयों, मत्स्यपालन केंद्रों, चारा मिलों और शीत श्रृंखला सुविधाओं सहित अंतर्देशीय मत्स्यपालन अवसंरचना के विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने वैज्ञानिक जलीय कृषि और एकीकृत मछलीपालन के माध्यम से अंतर्देशीय मत्स्यपालन को सुदृढ़ करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में पीएमएमएसवाई की परियोजनाओं के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा छोटे मत्स्य पालकों के लिए मछली उत्पादन, उत्पादन के बाद के बुनियादी ढांचे और बाजार पहुंच में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ग): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) नामक एक प्रमुख योजना कार्यान्वित कर रहा है। यह उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मात्स्यिकी के विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 से लेकर अब तक 20750/- करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ भारत में मात्स्यिकी क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने की एक योजना है। विगत छह वर्षों के दौरान तालाबों, जलाशयों, हैचरी, फ़ीड मिल और कोल्ड चेन सुविधाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर सहित मात्स्यिकी के समग्र विकास के लिए प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण अनुबंध- । में प्रस्तुत किया गया है।

इसके अलावा, पीएमएमएसवाई के तहत विभाग ने 412.30 करोड़ की केंद्रीय अंश के साथ 1294.32 करोड़ के कुल परिव्यय पर उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न मात्स्यिकी विकास प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है और राज्य में मात्स्यिकी के विकास के लिए 336.61 करोड़ की राशि जारी की गई है जिसके सापेक्ष 316.61 करोड़ की राशी खर्च की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, PMMSY को राज्य के पूर्वी क्षेत्र सहित सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके तहत वैज्ञानिक एक्वाकल्चर, इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग, तालाब विकास, हैचरी, जलाशय, फीड मिल, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, बायोफ्लॉक, रीसर्क्युलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (RAS), केज कल्चर और राज्य सरकार की ज़रूरतों के आधार पर मात्स्यिकी से जुड़ी अन्य आधुनिक तकनीकों के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में मात्स्यिकी को बढ़ावा देने के लिए चंदौली में एक स्टेट-ऑफ़-आर्ट होलसेल फ़िश मार्केट का निर्माण किया गया है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में फास्ट ट्रैक मोड में जलकृषि विकास के लिए सिद्धार्थ नगर जिले में एक पंगेशियस क्लस्टर को भी चिन्हित किया गया है।

(घ): सरकार जलकृषि विस्तार, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आधुनिक प्रौद्योगिकी , पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन, कोल्ड चेन सुविधाओं, मूल्य संवर्धन और बाजार लिंकेज सहित पीएमएमएसवाई के तहत विभिन्न अंतर्क्षेप के माध्यम से मत्स्य उत्पादन और मछुआरों की आय सृजन को बढ़ावा दे रही है। इन अंतर्क्षेप ने उत्तर प्रदेश सहित देश में मत्स्यपालन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पीएमएमएसवाई की कार्यान्वयन अवधि के दौरान, मत्स्यपालन क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें शामिल हैं, (i) वार्षिक मत्स्य उत्पादन 2019-20 में 141.64 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में 197.97 लाख टन हो गया**,** (ii) मत्स्य निर्यात में 2019-20 में 46,662.85 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 73,890 करोड़ रुपये हो गया। (iii) प्रति व्यक्ति मत्स्य खपत 5-6 kg से बढ़कर 12-13 kg हो गई और (**iv)** एक्वाकल्चर उत्पादकता 3 टन/हेक्टेयर से बढ़कर 4.7 टन प्रति हेक्टेयर हो गई। इन पहलों से मात्स्यिकी विकास को और सुदृढ़ करने और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में मछुआरों और छोटे किसानों की आजीविका और आय में सुधार होने की उम्मीद है।

अनुबंध- I

पीएमएमएसवाई के तहत अंतर्देशीय मत्स्य अवसंरचना के संबंध में 28 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए माननीय संसद सदस्य श्री शशांक मणि द्वारा पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1394 के उत्तर में उल्लिखित विवरण: ***2020-21*** *से* ***2025-26*** *तक विगत छह वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं, जारी केंद्रीय निधि का राज्य-वार समेकित विवरण***I**

((रुपए लाख में)

क्रम संख्या	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	परियोजना लागत	केंद्रीय शेयर	राज्य का शेयर	लाभार्थी का शेयर	जारी केंद्रीय निधि
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	269.84	245.33	0.00	24.51	17.09
2	आंध्र प्रदेश	2,328.89	681.38	1,213.59	433.92	444.95
3	अरुणाचल प्रदेश	230.31	159.18	17.68	53.45	127.09
4	असम	541.63	298.44	40.49	202.70	218.51
5	बिहार	579.62	193.12	131.25	255.25	121.93
6	छत्तीसगढ	956.86	321.01	216.91	418.95	272.37
7	दिल्ली	5.33	2.86	0.00	2.47	1.63
8	गोवा	147.24	72.19	48.13	26.92	53.05
9	गुजरात	910.75	346.74	231.16	332.85	173.35
10	हरियाणा	760.87	262.16	192.54	306.17	162.75
11	हिमाचल प्रदेश	156.03	79.93	9.58	66.52	78.91
12	जम्मू और कश्मीर	154.57	81.43	0.00	73.14	79.61
13	झारखंड	472.63	166.58	111.05	195.00	118.50
14	कर्नाटक	1,053.60	380.32	291.54	381.75	328.29
15	केरल	1,329.63	570.49	447.98	311.16	432.22
16	लद्दाख	33.49	20.10	0.00	13.40	12.17
17	लक्षद्वीप	62.45	44.22	0.00	18.24	14.42
18	मध्य प्रदेश	910.81	305.51	206.50	398.80	292.27
19	महाराष्ट्र	1,601.44	593.33	510.97	497.14	392.11
20	मणिपुर	201.82	95.84	10.65	95.32	29.92
21	मेघालय	132.62	74.26	8.25	50.12	65.44
22	मिजोरम	154.17	85.61	10.35	58.21	83.52
23	नगालैंड	168.33	109.56	12.17	46.60	89.17
24	ओडिशा	1,301.19	484.66	467.42	349.11	361.35
25	पुदुचेरी	351.26	296.44	0.00	54.82	92.40
26	पंजाब	162.23	46.96	31.31	83.95	29.46
27	राजस्थान	70.38	24.53	16.72	29.13	8.90
28	सिक्किम	83.68	51.70	5.77	26.22	43.98
29	तमिलनाडु	1,236.21	474.99	488.36	272.85	223.02
30	तेलंगाना	353.02	112.69	83.01	157.33	41.19
31	डीएनएच और दमन और दीव	135.17	132.44	0.00	2.73	1.79
32	त्रिपुरा	262.93	150.60	17.49	94.85	91.45
33	उत्तर प्रदेश	1,294.32	412.30	286.80	595.22	336.61
34	उत्तराखंड	317.25	170.20	18.92	128.13	166.68
35	पश्चिम बंगाल	546.38	223.19	148.79	174.41	87.04
क	**कुल (सीएसएस)**	**19,276.97**	**7,770.28**	**5,275.37**	**6,231.33**	**5,093.16**
ख	**CS**	2,117.90	1,740.61	0.00	377.29	1,019.96
क+ख	**कुल (सीएसएस + सीएस)**	**21,394.88**	**9,510.89**	**5,275.37**	**6,608.62**	**6,113.12**
